संख्या-33/2020/2583/22-2-2019-17(1080)/2019

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 09 जनवरी, 2020***

विषय:- जिला कारागार, मेरठ में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बन्दी जगवती उर्फ जग्गों पत्नी श्री राज कुमार, निवासी जनपद-मेरठ की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-27774/प्रोबे0-5-दयायाचिका बैठक-06-08-2019 दिनांक 06.09.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार महिला बन्दी जगवती उर्फ जग्गों पत्नी श्री राज कुमार जो रोहटा, थाना-सरूरपुर, जनपद-मेरठ की रहने वाली है। महिला बन्दी द्वारा दहेज को लेकर दिनांक 26.03.2011 को 03 सहअभियुक्त के साथ मिलकर अपनी बहू के ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगाकर हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु महिला बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-1070/2011 में भा0द0वि0 की धारा-498ए, 304बी व 4 दहेज प्रति0 अधि0 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश-12, मेरठ के आदेश दिनांक 06.05.2013 द्वारा 14 वर्ष के सश्रम कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है। पुलिस अधीक्षक/जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व रिहाई के उपरान्त भी अपराध कारित कर सकने, समयपूर्व रिहाई के उपरान्त भी अन्य अपराध करने से इंकार न किये जाने, की आख्या अंकित करते हुए बंदी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा महिला बंदी की आयु, काटी गयी सजा, कारित अपराध की प्रकृति एवं पुलिस अधीक्षक/जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति न किये जाने के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नही की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि महिला बन्दी जगवती उर्फ जग्गों (बन्दी संख्या-245/2013) पत्नी श्री राज कुमार, निवासी जनपद-मेरठ की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

संख्या-33/2020/2583(1)/22-2-2019 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, मेरठ।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in